न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला–भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

ना पत्र संख्या: 03/ 20 प्रा0पत्र दिनांक 05.10.2020

अनवान

सुआमोटो रास्ता **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

–:: आदेश ::–

सुआमोटो प्रकरण पर तहसीलदार करेड़ा द्वारा प्रस्ताव अन्तर्गत धारा 131,132 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय विजात् नकल जमाबन्दी,नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक का शिष्ट–'ए' एवं तहसीलदार करेड़ा की अभिशंषा का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया के अनुसार ग्राम बेमाली पटवार हल्काबेमाली तहसील करेड़ा के बिलानामखसरा नम्बर 90 रकबा1. बीघा किस्म बंजड़ भूमि को रेह से जालमपुरा वाले रास्ते से मिलता है इस रास्ते से आमजन खेतो आते–जाते है। रास्ता मौके पर चालू हैं परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शें में उक्त रास्ते का नहीं है। संबंधित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पुराने से चालू बताया हैं। साथ ही तहसीलदार करेड़ा ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से र किया जाता है।

अतः तहसीलदार करेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बेमाली पटवार हल्काबेमाली ल करेड़ा के बिलानामखसरा नम्बर 90 रकबा1.04 बीघा किस्म बंजड़ भूमि को मौके पर नुसार चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में, संलग्न नक्शे एवं परिशिष्ट–'ए' तानुसार करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

देश आज दिनांक 05.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर, करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.04.20 11:24:14 IST
Reason: SelfAttested